

# प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक-10.07.2025

**छिनैती का अपराध कारित करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती की 05 अदद मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व छिनैती के 1500 रू0 नगद बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूट/छिनैती का अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में उ0नि0 अवधेश पाण्डेय मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0306/2025 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त 1. अमन कुमार भारती व 2. तरुण राय को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 अदद मोबाइल फोन व 1500 रुपये नगद तथा थाना शाहपुर पंजीकृत मु0अ0सं0 329/2025 धारा 304(2) BNS से संबंधित 01 अदद मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर साईकिल व 03 अन्य छिनैती का मोबाइल फोन बरामद किया गया उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2), 338,336(3), 340(2), 112 BNS की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07/07/2025 को अभियुक्त उपरोक्त कूटरचित नम्बर प्लेट लगी एक पल्सर मोटरसाइकिल से थाना शाहपुर क्षेत्र से एक छात्रा का मोबाइल छीनकर भाग गये जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शाहपुर पर मु0अ0सं0 329/2025 धारा 304(2) BNS पंजीकृत किया गया।

उसी दौरान अभियुक्त उपरोक्त थाना गोरखनाथ क्षेत्र से एक महिला का पर्स छीन कर भाग गये, जिसमें उनका मोबाइल फोन व 02 हजार रुपये रखा था। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 306/2025 धारा 304(2) BNS पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता व आपराधिक इतिहास

**1.अमन कुमार भारती पुत्र सीताराम, निवासी बिछिया जंगल तुलसीराम खुदी टोला, थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर**

- I- मु0अ0सं0 306/2025 धारा 304(2) बढ़ोत्तरी धारा 317(2), 338,336(3),340(2),112 BNS थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- II- मु0अ0सं0 329/2025 धारा 304(2)317(2)BNS थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- III- मु0अ0सं0 116/2025 धारा 304(2),317(2),317(4) BNS थाना कैट जनपद गोरखपुर
- IV- मु0अ0सं0 006/2020 धारा 380,411 IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- V- मु0अ0सं0 009/2020 धारा 41/411 IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- VI- मु0अ0सं0 554/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्टथाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- VII- मु0अ0सं0 629/2019 धारा 201/380/411/413/457 IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- VIII- मु0अ0सं0 052/2016 धारा 392 IPC थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर
- IX- मु0अ0सं0 0176/2016 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर

**2. तरुण राय पुत्र दयानंद राय, निवासी मकान नंबर 849 सी जगदंबा गली, मोहदीपुर, थाना कैट, जनपद गोरखपुर**

- I. मु0अ0सं0 166/2025 धारा 3(5),303(2),317(2) बीएनएस थाना कैट जनपद गोरखपुर।
- II. मु0अ0सं0 158/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कैट जनपद गोरखपुर।
- III. मु0अ0सं0 306/2025 धारा 304(2) बढ़ोत्तरी धारा 317(2), 338,336(3),340(2),112 BNS थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

IV. मु0अ0सं0 329/2025 धारा 304(2)317(2)BNSथाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

**बरामदगी -**

1. छिनैती के 05 अदद मोबाइल फोन
2. 1500 रू0 नगद
3. घटना में एक प्रयुक्त एक अदद पल्सर मोटर साईकिल मय कूटरचित नंबर प्लेट

**गिरफ्तारी की टीम-**

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अवधेश पाण्डेय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अनुराग सिंह, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 अनूप कुमार सिंह, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
5. का0 शिवओम शुक्ला, थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
6. का0 बृजेश कुमार यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
7. का0 दीपक यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
8. का0 अशोक यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर